यूको बैंक

UCO BANK

असाधारण आम बैठक हेतु नोटिस

शुक्रवार, 20 मार्च, 2015

पूर्वाह्न 11.00 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Friday, 20th March, 2015

11.00 a.m.

प्रधान कार्यालय : 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

वेबसाइट / **Website : www.ucobank.com**

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, बी.टी.एम.सरणी, कोलकाता-700001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700001

सूची/INDEX	पृष्ठ सं./Page No.
नोटिस/Notice	3
व्याख्यात्मक विवरण, योग्यता मानदण्ड / नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया Explanatory Statement(s)/ Eligibility Criteria/ Procedure for submission of nomination	11
संबद्ध अधिनियमों, योजनाओं तथा विनियमों आदि का सार Extracts of Relevant Acts, Scheme and Regulations etc.	25
नामांकन फार्म /Nomination Form	43
घोषणा पत्र /Declaration	45
व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र Personal Information, Declaration and Undertaking	49
परोक्षी फार्म /Proxy Form	55
उपस्थिति पंजी सह प्रवेश-पत्र सह मत-पत्र पास Attendance Slip- cum- Entry Pass- cum Ballot Paper Pass	57

महत्वपूर्ण तिथियां / कार्यक्रम / IMPORTANT DATES / PROGRAMME

निर्वाचन में भाग लेने एवं कार्यसूची मदों पर मत देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए अंतिम तिथि Cut- off Date for ascertaining the Shareholders eligibility to participate in the election and vote on Agenda items of the meeting	मंगलवार,17 फरवरी, 2015 Tuesday, the 17th February 2015
नामांकन फार्म प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि Last Date for submission of Nomination form	बुधवार, 4 मार्च 2015 Wednesday, the 4th March 2015
नामांकन (नों) की संवीक्षा Scrutiny of nomination(s)	शुक्रवार, 6 मार्च, 2015 Friday, the 6th March 2015
उम्मीदवारी वापस लेना Withdrawal of candidature	शुक्रवार 13 मार्च, 2015 अपराह्न 05.00 तक, या उससे पहले On or before Friday, the 13th March 2015 upto 05.00 p.m.
ई-वोटिंग E- voting	शनिवार, 14 मार्च, 2015,पूर्वाह्न 10.00 बजे से सोमवार,16 मार्च, 2015 को अपराह्न 05.00 बजे From 10.00 a.m. on Saturday, the 14th March 2015 to 05.00 p.m. on Monday, the 16th March, 2015
प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए संकल्प एवं परोक्षी फार्म प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि Last Date for receipt of proxy form and resolutions for appointing authorized representatives	शनिवार, 14 मार्च, 2015 Saturday, the 14th March, 2015
असाधारण आम बैठक की तिथि, समय और स्थान Date, time and place of Extraordinary General Meeting	शुक्रवार, 20 मार्च, 2015, पूर्वाह्न 11.00 बजे, भाषा भवन ऑडीटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 Friday, the 20th March, 2015 at 11.00 a.m. At Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन सभागार, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगीः

मद सं. 1

भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानित आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गमः

"यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार(जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई), और/या इस बारे में अन्य कोई प्राधिकरण जिसकी आवश्यकता हो, के अनुमोदनों, अनुमतियों और मंजूरियों, यदि कोई हों, के अधीन तथा ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को मंजूरी देते समय निर्दिष्ट किए जाएँ, जिन पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा सेबी (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और आरबीआई एवं सभी अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर विहित विनियमों के अधीन, बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीकृत करनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और/ या उसकी योजनाओं को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(4) के अनुसरण में निर्धारित कुल रु. 427.45 करोड़ (रूपये चार सौ सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख मात्र) के प्रतिशेयर रु. 60.21 (रूपये साठ एवं पैसे एक्कीस मात्र) के प्रीमियम सहित, प्रति इक्विटी शेयर रु. 70.21/- (रूपये सत्तर एवं पैसे एक्कीस मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक रु.10/- (रुपए 10 मात्र) अंकित मूल्य के 6,08,82,550 (छः करोड़ आठ लाख बयासी हजार पांच सौ पचास मात्र) इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदोक मंडल (जिसे इसके बाद "मंडल" कहा जाएगा) को इसके माध्यम से दी जाती है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित तारीख 18 फरवरी, 2015 होगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्तियाँ मंडल में निहित होंगी जिसे भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्गमन, आबंटन एवं उनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, सम्मति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते/ प्रदान करते समय आवश्यक समझा जाए या अधिरोपित किया जाए और जिसमें मंडल की सहमति हो।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होनेवाले उक्त इक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों की समतुल्य श्रेणी के होंगे और लाभांश घोषित करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के हकदार होंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOTICE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UCO BANK will be held on the Friday, 20th March, 2015 at 11 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 to transact the following business :

Item no.1

Issue of Equity Shares through Preferential allotment to Life Insurance Corporation of India

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s) the following resolutions as a special resolution(s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") to create, offer, issue and allot upto 6,08,82,550 (Six Crore Eight Lakh Eighty Two Thousand Five hundred fifty only) equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of Rs.70.21/- (Rupees Seventy and Paise twenty one only) per equity share including premium of Rs. 60.21 (Rupees Sixty and Paise twenty one only) per share determined in accordance with Regulation 76 (4) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to Rs.427.45 crore (Rupees Four hundred twenty seven crore forty five lakh) on preferential basis to Life Insurance Corporation of Iindia (LIC) and/or its Schemes..

"RESOLVED FURTHERTHAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 18th February, 2015.

"RESOLVED FURTHERTHAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank paripassu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** मंडल स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त मानता है।"

मद सं. 2. निदेशकों का चुनावः

बैंकिंग कंपनियां अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) सह-पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा जाएगा) तथा यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2003 (जिसे इसके बाद 'विनियमन' कहा जाएगा) को अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में, साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.नं. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 सहपठित डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 (जिन्हें इसके बाद 'आरबीआई की अधिसूचना' कहा जाएगा) के अनुरूप निम्नांकित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) में से एक निदेशक का चुनावः

"**यह संकल्प किया जाता है कि** उक्त योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन और आरबीआई अधिसूचना के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक को गुरुवार, दिनांक 21.03.2015 से बैंक के निदेशक का कार्यभार प्रदान करने के लिए इसके द्वारा चुना जाता है तथा इसे मान्य किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक वे इस पद को सुशोभित करेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेश से

अरुण कौल

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 फरवरी, 2015

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Item no. 2. Election of Directors:

To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and UCO Bank (Shares & Meetings) Amendment Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No. DBOD No.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with the DBOD.BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and the Guidelines issued by the Govt. of India vide their letter dated 03.09.2013 in this regard (hereinafter referred to as the "Government Guidelines") by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT ONE Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with the Scheme, Regulations made thereunder, and RBI Notification and Government Guidelines, be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from the date next following the date of his/her election or Thursday, the 21st March 2015 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board Directors

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Date : 19th February 2015.

नोटः

1. व्याख्यात्मक विवरणः

बैठक की कार्यवाही के संबंध में मूलभूत तथ्यों को निरूपित करनेवाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

2. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा, भले ही उसके पास कितने भी शेयर हों।

उपर्युक्त के अधीन, अंतिम तारीख यानी मगंलवार, 17.02.2015 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक बैंक के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में भागीदारी (नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने) का हकदार है तथा अंतिम तारीख को वह अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत पाने का अधिकारी होगा।

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या ज्यादा व्यक्तियों के नाम में हो, तो जहां तक मतदान का संबंध है, रजिस्टर में जिसका नाम पहले लिखा होगा उसे ही एकल धारक मान लिया जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम में हों तो केवल पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में उपस्थित होने का पात्र होगा और वही नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने का हकदार होगा।

3. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरुरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो।

परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के प्रधान कार्यलय में कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता- 700 001 के पास इस असाधारण आम बैठक की तारीख से कम-से-कम चार दिन पूर्व यानी 14 मार्च, 2015 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के समय यानी दोपहर 2.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए।

कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, वित्त विभाग, यूको बैंक, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता- 700 001 में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम-से-कम चार दिन पूर्व यानी 14 मार्च, 2015 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति यानी दोपहर 2.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए।

नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

5. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र सह मत-पत्र पासः

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र सह मत-पत्र पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक स्थल पर उसे जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिख देना चाहिए। चुनाव के समय ऐसा प्रवेश पास जमा कराकर मत-पत्र प्राप्त किया जाएगा।

6. रजिस्ट्रार एंव शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचारः

भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने निबंधित पते के परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देंः

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
(यूनिटः यूको बैंक)
17 से 24, विठ्ठल राव नगर,
माधापुर,
हैदराबाद - 500 081

NOTES

1. **Explanatory Statement :**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **Voting Rights**

   In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent** of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

   Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the cut off date i.e. on Tuesday, the 17th February 2015 will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of one Shareholder Director of the Bank and shall have one vote for each share held by him/her as on the cut off date.

   As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. **Appointment of Proxy :**

   A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

   The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bankwith the Company Secretary, UCO Bank, Finance Department, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. upto 2.00 p.m. on Saturday, the 14th March, 2015. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

4. **Appointment of an Authorized Representative :**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, UCO Bank, Finance Department, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on i.e. upto 2.00 p.m. on Saturday, the 14th March, 2015.

   An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

5. **Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot paper pass :**

   For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/ Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

6. **Communication with Registar & Share Transfer Agent :**

   Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

   M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd.
   (Unit: UCO Bank)
   17 to 24, Vittal Rao Nagar
   Madhapur
   Hyderabad - 500 081

इलेक्ट्रॉनिक रुप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने निबंधित पते और ईसीएस अधिदेश के परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, केवल अपने संबंधित जमाकर्ता भागीदार(रों) को दें।

7. अंतिम तिथिः

बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने (नामांकन करने, चुनाव लड़ने एवं मतदान करने) के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन से तथा असाधारण आम बैठक की कार्यसूची मदों पर उनके मतदान अधिकारों को कार्यान्वित करने हेतु मंगलवार, 17 फरवरी, 2015 को अंतिम तारीख नियत किया है।

8. असाधारण आम बैठक स्थल पर मतदान/पोलिंगः

कंपनियां (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के संशोधित खंड 358 के अनुसरण में आपका बैंक इस सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से अपना मत देने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता अनुभव करता है। इसके लिए बैंक ने मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को ई-वोटिंग प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव मेसर्स अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी को उचित और पारदर्शी प्रकार से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। असाधारण आम बैठक की सूचना प्रेषित करने हेतु शेयरधारकों की सूची निश्चित करने के लिए बैंक द्वारा तय की गई आंतरिक अंतिम तारीख 17.02.2015 को जो शेयरधारक/लाभार्जक भौतिक या अभौतिक रूप में एक्विटी शेयर धारित करते हैं वे अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रीति से दे सकते हैं। ई-वोटिंग के जरिए सभी पात्र शेयरधारकों को वोट देने में समर्थ बनाने हेतु उन्हें ई-वोटिंग पर अलग से पत्र/सूचना भी भेजी जा रही है।

ई-वोटिंग के अलावा, उनके लिए जिन्होंने ई-वोटिंग के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है,मतदान द्वारा भी वोटिंग की जाएगी। इस संबंध में घोषणा किए जाने के तुरंत बाद बैलेट पेपर/पेपरों का जारी किया जाना आरम्भ हो जाएगा तथा अपराह्न 01.30 बजे तक जारी रहेगा। उपस्थिति पंजीकरण के समय जारी/नोटिस के साथ प्रेषित पास प्रस्तुत किए जाने पर शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बैलेट पेपर, तदहेतु बनाए गए काउंटरों से ही जारी किए जाएंगे। वोटों की संख्या अंतिम तिथि अर्थात मंगलवार 17.02.2015 को उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर ही होगी।

सूचना की प्रत्येक कार्यसूची मद के लिए मताधिकार प्रयोग हेतु अलग-अलग मत-पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। शेयरधारक मत पत्र में अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे संगत कॉलम में रबड स्टाम्प लगा कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और ये मत पत्र इस कार्य के लिए रखी गई मतदान पेटियों में डाले जाएंगे।

तत्पश्चात् मतगणना शुरू की जाएगी और बैठक में आयोजित मतदान एवं ई-वोटिंग के माध्यम से प्राप्त कुल वोटों के आधार पर सभा के अध्यक्ष अंतिम परिणाम की घोषणा करेंगे।

ई-वोटिंग के परिणामों का योग कर मतदान का परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और स्टाक एक्सचेंजों अर्थात एनएसई एवं बीएसई को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी। इस प्रयोजन से बैंक एक स्वतंत्र सलाहकार (जांचकर्ता) नियुक्त करेगा जिसका पर्यवेक्षण केन्द्रीय सरकार के नामिती, जो कि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा, द्वारा किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

अरुण कौल

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 फरवरी, 2015

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

7. CUT-OFF DATE

The Bank has fixed Tuesday, the 17th February, 2015 as the Cut-off Date for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders to participate (nominate, contest and vote) in the election of Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and other applicable laws, rules, regulations, Reserve Bank of India Guidelines and Govt. of India Guidelines in this regard and to exercise their voting rights on the agenda items of the Extraordinary General Meeting.

8. E-VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM

Pursuant to revised Clause 35B of Listing Agreement with Stock Exchanges read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, your Bank is pleased to provide e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed Karvy Computershare Private Limited as e-voting agency to provide the e-voting platform. The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co. Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The Shareholders/beneficiary owners holding equity shares either in physical or in dematerialized form, as on 17th February 2015, the internal cut-off date fixed by the Bank for ascertaining list of shareholders for mailing EGM Notice, can cast their votes electronically. A separate communication/notice containing detailed instructions on e-voting is also being sent to all the eligible shareholders to enable them to cast their votes through e-voting.

Apart from e-voting, the voting shall also be done by Poll for those who do not exercise their option of e-voting. The issue of Ballot Paper/s will commence immediately after an announcement in this regard is made and continue upto 1.30 p.m. Ballot Papers shall be issued at the counters set up for this purpose to the Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives on surrender of Ballot Paper Pass sent with the Notice/issued at the time of attendance registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the cut-off date i.e. Tuesday, the 17th February, 2015.

Separate Ballot Papers will be available for exercising the right with respect to each of the Agenda items of the Notice. The Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp in the relevant column of their choice and drop the Ballot Papers in the Ballot Box(es) kept for the purpose.

The counting of votes would be taken up thereafter and the Chairman of the meeting will announce the final results based on the aggregate of votes secured through e-voting and poll conducted at the meeting.

The Results of the poll aggregated with the results of e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e. NSE & BSE.

The entire process of Poll and Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank in coordination with Independent Scrutinizer/s to be appointed for the said purpose by the Bank.

By Order of the Board Directors

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Date : 19th February 2015.

व्याख्यात्मक विवरण - कार्यसूची मद सं. 1

सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के अनुसार आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन निम्नानुसार हैः

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

(1) **भारतीय जीवन बीमा निगम को 6,08,82,550 इक्विटी शेयर निर्गम करने का प्रस्तावः**

बासल III मानदंडों के कार्यान्वयन के एक भाग के रुप में बैंक ने अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को इक्विटी शेयर जारी करके इक्विटी पूँजी बढ़ाने के जरिए सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी में वृद्धि करने का निर्णय किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने अधिमानी आबंटन के माध्यम से बैंक के इक्विटी शेयर लेने पर अपना सैद्धांतिक अनुमोदन सूचित किया। इस बढ़ी हुई पूँजी का उपयोग पूँजी पर्याप्तता में सुधार लाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा।

31 दिसंबर, 2014 को जोखिम भारित परिसंपत्तियों पर पूंजीगत निधि निम्नानुसार है :

विवरण	राशि करोड़ (रु.) में	जोखिम भारित परिसंपत्ति पर पूंजी निधि का % (बासेल III)
जोखिम भारित परिसंपत्ति	121497.97	-
सामान्य ईक्विटी पूंजी	10103.75	8.32%
टियर-I पूंजी	10277.27	8.46%
टियर-II पूंजी	4444.92	3.66%
कुल पूंजी	14722.19	12.12%

ख) यह संपूर्ण निर्गम भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जा रहा है।

ग) निर्गम मूल्य अब तक संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 के अनुसार निर्धारित होगा। निर्गम मूल्य निश्चित करने की तय तारीख 18.02.2015 को ध्यान में रखते हुए निर्गम मूल्य रु. 70.21 निर्धारित किया गया है।

घ) निर्गम के पूर्व और पश्चात शेयरधारिता पैटर्नः

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	783333289	77.20	783333289	72.83
ख.	गैर-प्रवर्तक धारिता	231375874	22.80	292258424	27.17
ग.	कुल	1014709163	100.00	1075591713	100.00

ङ) बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन में बतायी गई निर्दिष्ट समय-सीमा में ही निर्गम प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

च) हालांकि यह संपूर्ण निर्गम भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाना है लेकिन नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार निर्गम पश्चात पूंजी का 72.83% धारित करके अब भी प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है।

छ) निर्गम के पहले और बाद में भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता निम्नानुसार होगीः

	शेयरों की संख्या	पूँजी का प्रतिशत
निर्गम-पूर्व	88169849	9.23
निर्गम-पश्चात	149052399	14.36

ज) बैंक के इक्विटी शेयर छः माह से अधिक के लिए सूचीकृत हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(3) एवं 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं। अतः सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 73(1) (एफ) एवं (जी) के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं हैं।

EXPLANATORY STATEMENT- AGENDA ITEM NO. 1

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI ICDR Regulations 2009 are as follows:

a) Objects of the Preferential Issue

(i) **Proposal for issue of 6,08,82,550 equity shares to Life Insurance Corporation of India.**

As a part of implementation of Basel III norms, Bank decided to enhance its Common Equity Tier I capital by raising equity capital through issue of equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis.

Life Insurance Corporation of India has communicated their in principle approval to subscribe to the equity shares of the Bank by way of preferential allotment. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 31st December, 2014 is as under :

Particulars	Amount (Rs.) in Crore	% of capital funds to risk weighted asset (Basel III)
Risk Weighted Assets	121497.97	-
Common Equity Capital	10103.75	8.32%
Tier-I Capital	10277.27	8.46%
Tier-II Capital	4444.92	3.66%
Total Capital	14722.19	12.12%

b) The entire issue is being issued to Life Insurance Corporation of India.

c) The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. The issue price so determined is Rs. 70.21 considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is 18.02.2015.

d) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoter's Holding (Government of India)**	783333289	77.20	783333289	72.83
B.	**Non –Promoter Holding**	231375874	22.80	292258424	27.17
C.	**Total**	1014709163	100.00	1075591713	100.00

e) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

f) As the entire issue is to be made to Life Insurance Corporation of India, there would not be any change in control since the Government of India continues to be the major shareholder by holding 72.83% of the post issue capital.

g) The Pre and Post issue shareholding of the Life Insurance Corporation of India would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue	88169849	9.23
Post -issue	149052399	14.36

h) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable. Hence disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.

झ) भारतीय जीवन बीमा निगम को निर्गमित एवं आबंटित सभी शेयर, वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित रहेंगे।

ञ) सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिससे प्रमाणित होता हो कि यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है, को असाधारण आम बैठक के पटल पर रखा जाएगा।

ट) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीकृत किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीकरण समझौते के निर्धारण के अनुसार इक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।

ठ) स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौते के खंड 23 एवं सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के अध्याय VII के अनुसार, बैंक एक विशेष संकल्प के जरिए अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को ईक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन चाहता है।

ड) जहाँ भी अपेक्षित हो, बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुरूप इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना का वचन देता है।

ढ) बैंक वचन देता है कि यदि इस विनियमन में निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ उस समय तक आरक्षित रहेंगी जब तक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाए।

ण) आपके निदेशक सूचना में यथानिर्दिष्ट विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

त) बैंक के निदेशकों में से किसी का भी इस संकल्प से कोई सरोकार या हित नहीं हैं।

व्याख्यात्मक विवरण - कार्यसूची मद सं. 2:

निदेशकों का चुनाव:

उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के अनुसार, इस तथ्य के रू-ब-रू कि जनता बैंक की कुल चुकता पूंजी में से 16% से ज्यादा लेकिन 32% से कम धारित करता है, बैंक केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से दो निदेशक चुन सकता है।

इन दो रिक्तियों में से बैंक ने एक रिक्ति घोषित की जो 12.07.2014 को श्री सिबेस्टियन ल्युकस मॉरिस का कार्यकाल पूरा होने के कारण उत्पन्न हुई। बैंक ने एक अन्य रिक्ति को खाली रखा क्योंकि बैंक द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका, एसएलपी (सी) 2014 की सं. 14209 भारत के उच्चतम न्यायालय में निपटान के लिए लंबित थी।

एक रिक्ति को भरने के लिए बैंक दिनांक 20.03.2015 को आयोजित असाधारण आम बैठक में शेयरधारक निदेशक का चुनाव करने का प्रस्ताव करता है। यह निदेशक 21.03.2015 को कार्यभार संभालेंगे और निर्दिष्ट तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद को सुशोभित करेंगे।

अतएव शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विविध संगत अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना में विहित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं जिनके प्रासंगिक उद्धरण/अंश यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं। शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकनों की जांच तथा निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त निर्धारित किए जाने के बाद अथवा असाधारण आम बैठक में निर्वाचन के बाद एक निदेशक को चुना जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित निदेशक का 21.03.2015 से कार्यभार ग्रहण करना माना जाएगा और वे तीन वर्षों की अवधि के लिए इस पद को सुशोभित करेंगे।

i) All the shares issued and allotted to the Life Insurance Corporation of India shall be locked in for a period of one year from the date of trading approval.

j) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

k) All the shares held by the Life Insurance Corporation of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

l) In terms of Clause 23 of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges and in terms of Chapter VII of SEBI ICDR Regulations 2009, Bank seeks approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Life Insurance Corporation of India on Preferential basis.

m) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

o) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.

p) None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

EXPLANATORY STATEMENT-Agenda Item No. 2:

Election of Directors:

In terms of provision of Section 9(3)(i) of the Act by virtue of the fact that public holds more than 16% but less than 32% of the total paid up capital of the Bank, Bank can elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government.

Out of the two vacancies, Board of Directors decided to fill in one vacancy caused by the completion of the term of Sri Sebastian Luckose Morris on 12.07.2014. In respect of the other vacancy, the Board has decided to keep it vacant as Special Leave Petition, SLP (C) no. 14209 of 2014 filed by the Bank is pending for disposal in Hon'ble Supreme Court of India.

Accordingly,the Bank proposes to conduct Election of Shareholder Director at an Extraordinary General Meeting convened on 20.03.2015. Elected Director shall assume charge as on the deemed date of Election or on 21.03.2015 and hold office for a period of 3 years from the date of such assumption.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/Regulations/Notification, the relevant extracts/portions of which are reproduced hereunder. One director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their fit and proper status by the Nomination Committee of the Board or subsequent to the election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall be deemed to have assumed office from 21.03.2015 and will hold office for a period of three years.

विधिक प्रावधान

इस विषय में लागू विभिन्न अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रावधान नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

अधिनियम/योजना/ विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	उभयनिष्ठ निदेशकों का निषेध
	धारा 20	बैंक के किसी भी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिम की स्वीकृति पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई)	वोट देने के अधिकार पर प्रतिबंध
	धारा 9 (3)(1)	शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए)(ए) से(सी)	कतिपय विषयों में विशेष ज्ञान
	धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी)	कोई भी व्यक्ति निदेशक के रुप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रेक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य किसी मानदंड पर उपयुक्त नहीं पाया जाता
	धारा 9(3बी)	जो चुना गया निदेशक उक्त अधिनियम का धारा 9 (3ए) एवं 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं उन्हें हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार
	धारा 13(2)	निष्ठा एवं गोपनीयता बरतने संबंधी कर्तव्य
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4)	निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल
	खंड 10	बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने की अयोग्यताएं
	खंड 11	निदेशक के कार्यभार को छोड़ना
	खंड 11ए	निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना
	खंड 11बी	निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना
	खंड 12(8)	निदेशकों के हितों वाले कुछ व्यवस्थापनों पर निदेशकों द्वारा प्रकटीकरण
यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) यथासंशोधित विनियमन, 2003	विनियम 10	संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग
	विनियम 61	सामान्य बैठकों में वोट देना
	विनियम 63	सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक
	विनियम 64	शेयरधारकों की सूची
	विनियम 65	चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66	नामांकनों की जांच
	विनियम 67	चुनाव विवाद
	विनियम 68	मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 69	विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाना
	विनियम 70	परोक्षी
भा.रि.बैं. अधिसूचना क्रमांक डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 एवं 47/29.39. 001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 एवं सं. डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 25.05.2011	बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3एए) तथा 9 (3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्तता मानदंड

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations /Scheme/Notifications applicable in this regard :

Acts/Scheme/Regulations /Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1)	Prohibition of Common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3(2E)	Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9 (3A) (A) to (C)	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) Section 9(3AB)	No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9 (3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	Vacation of office of Director
	Clause 11 A	Removal from office of an elected Director
	Clause 11 B	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
UCO Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2003 as amended	Regulations 10	Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61	Voting at General Meetings
	Regulation 63	Directors to be elected at General Meeting
	Regulation 64	List of Shareholders
	Regulation 65	Nomination of candidates for election
	Regulation 66	Scrutiny of nominations
	Regulation 67	Election disputes
	Regulation 68	Determination of voting rights
	Regulation 69	Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	Proxies
RBI Notification No. DBOD.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007and No. DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks.

अधिनियम/योजना/ विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
भारत संरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र संदर्भ सं. एफ.नं. 16/83/ 2013 बीओ-I दिनांक 3 सितंबर, 2013, और दिनांक 01.06.2011 के अशंकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशकों के चयन संबंधी दिशानिर्देश		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशंकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशकों की नियुक्ति के दिशानिर्देश
भा.रि. बैं. मास्टर परिपत्र दिनांक 2 जून 2012 - (आरबीआई/ 2012-13/79 डीबीओडी सं. डीआईआर. बीसी.4/ 13.03.00/2012-13)		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम/विनियम/योजना के संगत अंशों के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाएं सं. डीबीओडी.नं.बीसी नं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा सं. डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011 बैंक की वेवसाइट www.ucobank.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे। नामांकन फार्म प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 04.03.2015 तक या उससे पूर्व कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता- 700 001 को अनुरोध प्राप्त हो जाने पर ये अंश इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल भी कर दिए जाएंगे।

- **चुनाव में भागीदारी**

  ऐसे शेयरधारक जिनके नाम अंतिम तिथि अर्थात शुक्रवार 17 फरवरी, 2015 को एनएसडीएल/सीएसडीएल द्वारा प्रस्तुत सदस्यों लाभार्जकों के रजिस्टर में अंकित हैं, वे सभी, केंद्र सरकार का छोड़कर, निदेशकों के चुनाव में भाग लेने अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने एवं वोट करने हेतु पात्र होंगे।

- **(क) बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अपेक्षित योग्यताः**

  अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक के किसी शेयरधारक और धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के इच्छुक प्रत्याशी कोः

  - निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिएः
    - ✓ कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
    - ✓ बैंकिंग
    - ✓ सहकारिता
    - ✓ अर्थाास्त्र
    - ✓ वित्त
    - ✓ विधि
    - ✓ लघु उद्योग

Acts/Scheme/ Regulations/Notifications	Provisions	Short Particulars
Letter dated 3rd September, 2013 vide Ref. F.No.1618312013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Guidelines for Selection of Part-time Non-Official Director dated 01.06.2011		Guidelines for appointment of Part Time Non Official Directors in Public Sector Banks.
RBI Master Circular dated 2nd June, 2012 - (RBI/2012-13/79 DBOD.No. Dir.BC.4/ 13.03.00/2012-13)		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act/ Regulation/ the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No. DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 will be hosted in the Bank's website www.ucobank.com Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, UCO Bank, Finance Department, 2, India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700 001 on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e.04.03.2015.

- **Participation in Election:**

  Such of those shareholders whose name appear on the Register of Members/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on the cut-off date i.e. on 17.02.2015 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

- **(a) Qualifications required for being elected as a Director of the Bank**

  In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

  - Have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely :-
    - ✓ Agriculture and rural economy
    - ✓ Banking
    - ✓ Co-operation
    - ✓ Economics
    - ✓ Finance
    - ✓ Law
    - ✓ Small scale industry

- ✓ किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।
- ✓ जो जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा
- ✓ किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

(ख) अधिनियम की धारा 9(3एए) की शर्तों के अनुसार बैंक का कोई शेयरधारक उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो, उसे अधिसूचना में वर्णित मानदंड के अनुसार "उपयुक्त" हैसियत वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित निदेशकों को संविदा विलेख निष्पादित करना होगा तथा उन्हें इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्वाचित असाधारण घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

- **बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतु अयोग्यताएंः**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 की शर्तों के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगाः

- ➢ यदि वह, किसी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदरों का भुगतान रोका हुआ हो या प्रशमन किया हो, अथवा
- ➢ यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- ➢ यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो, जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है, अथवा
- ➢ यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित, भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी लाभ का पद धारण करता है/करती है, इसके सहित कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से नामित किए गए प्रबंध निदेशक तथा निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करता/करती है।
- ➢ यदि वे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसी सं. 46/29.39.001/001/2007-08 तथा डीबीओडी सं. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'उपयुक्त एवं समुचित' व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं।
- ➢ यदि वह इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करता/करती है।

- **शेयरधारकों की सूचीः**

जैसा कि यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) संशोधन विनियमन, 2008 के विनियम 64 में वर्णित यथासांशेधित किया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (इलेक्ट्रानिक रूप में अर्थात् सीडी) महाप्रबंधक, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001 के पास 23 फरवरी, 2015 से उपलब्ध होगी और वह यूको बैंक के पक्ष में कोलकाता में देय रु. 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा शेयरधारकों के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होगी। इच्छुक अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूची खरीदने के लिए यह वचन पत्र देना होगा कि उक्त सूची का उपयोग चुनाव में प्रचार के लिए किया जाएगा तथा उसका कोई और उपयोग नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता 700001 में सभी कार्य दिवसों में, रविवार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर, सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक और शनिवार को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

यदि कोई शेयरधारक उपर्युक्त की प्रति या चयनित/अंश की कंप्यूटर द्वारा मुद्रित प्रति चाहता है तो उसे संबद्ध अंश के प्रत्येक 1000 शब्दों अथवा उसके भाग जिसकी प्रतियां निकाली जाती हैं, के लिए रु. 5/- (रुपये पांच मात्र) की दर से राशि का पूर्व भुगतान करने पर प्रदान किया जाएगा।

- **चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन**

विनियमन के विनियम 65 के अनुसार एवं भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 के साथ पठित दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 46/29.39.001/2007-08 के विभिन्न अधिनियमों के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चयन हेतु अभ्यर्थी का नामांकन वैध होगा बशर्तेः

- ✓ Any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.
- ✓ Represents the interest of depositors; or
- ✓ Represents the interest of farmers, workers and artisans

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish Extraordinary declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

- **Disqualifications from being elected as a Director of the Bank**

In terms of Clause 10 of the Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director

- If he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- If he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- If he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India - DBOD.No.BC.No.46/29.39.001/2007-08 and DBOD No.47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.
- If he is not found to be complying with the Guidelines issued by the Central Government in this regard.

- **List of Shareholders**

As provided in Regulation 64 of the UCO Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2008 as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. (C.D) will be available from the General Manager, UCO Bank,Head Office,Finance Department, No. 2 India Exchange Place, Kolkata-700001of the Bank from 23rd February 2015 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs,50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order in favour of UCO Bank payable at Kolkata. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Shares Section, Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata - 700 001 on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) i.e. Monday to Friday between 11 a.m. to 4 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information of the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

- **NOMINATION OF CANDIATES FOR ELECTION:**

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided.

- निर्वाचन में सहभागिता हेतु शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के प्रयोजन से निर्धारित नियत/रिकॉर्ड तिथि 17.02.2015 को उसकी शेयरधारिता बैंक के 100 (एक सौ) शेयरों से कम न हो जो कि उसके पास बैठक की तिथि तक बने रहें और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता/होती है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर उसके पास रहने चाहिए।
- नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 04.03.2015 को यथास्थिति वह अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य न हुआ हो।
- अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटर्नी द्वारा लिखित रुप में हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते शेयरधारक जो एक कंपनी है, का नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाए और जहां ऐसा संकल्प किया जाता है वहां उस बैठक के, जहां इसे पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की सही प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को महाप्रबंधक, यूको बैंक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001 को संबोधित करते हुए प्रेषित की जाएगी।
- शेयरधारकों द्वारा नामांकन के साथ घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए और उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट/आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी/भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी/किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित यह घोषणा कि वह नामांकन स्वीकार करता/करती है और निर्वाचन में भाग लेने का/की इच्छुक है और वह अधिनियम या योजना या विनियम के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं हुआ/हुई है जिसके साथ उसका विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) और इस आशय की पुष्टि होनी चाहिए कि ऐसे विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उसकी यह वचनबद्धता कि वह इस घोषणा के बाद ऐसी कोई भी घटना, जो इस सूचना से संगत हो, बैंक को यथाशीघ्र पूर्णतया सूचित करेगा/करेगी।
- नामांकन फार्म एवं घोषणा फार्म विनियम द्वारा यथानिर्धारित और इस नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हैं। (यह प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर भी उपलब्ध है)
- वह बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 अथवा यूको बैंक (शेयर और बैठकें) संशोधन विनियम, 2008 तथा भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं डीबीओडी.बीसी.सं. 46/29.39.001/2007-08 अथवा भारत सरकार के दिनांक 01.06.2011 के दिशानिर्देशों के अनुसार आशसकीय निदेशकों पर भी लागू किया गया है या समय-समय पर जारी किसी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक के रुप में चयन हेतु अयोग्य न हो।

- नामांकन फार्मों की प्रस्तुतिः

  शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को (केंद्र सरकार को छोडकर) निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगाः

  - विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र;
  - निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन;
  - इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र तथा वचन पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात स्व सत्यापित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो, सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक, वित्त विभाग, यूको बैंक प्रधान कार्यालय, 2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, को असाधारण आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले दिनांक 04.03.2015 को/तक अपराहन 5.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस को पहुंच जाना चाहिए।

  उपर्युक्त नामांकन फार्म व अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है

- **नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनाव**

  - नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तिथि के बाद के प्रथम कार्य दिवस अर्थात् 06.03.2015 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

- He /she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on 17.02.2015, being the cut-off date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- As on 04.03.2015, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications/GOI Guidelines.
- The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where is it so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager, UCO Bank Finance Department, Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that he /she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director along with his /her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.ucobank.com)
- He/She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 Or the UCO Bank (Shares and Meetings) Amendments Regulations, 2008 and Notification No. DBOD.BC.No.46/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 of Reserve Bank of India and GOI guidelines dated 01.06.2011 as applicable to Non-official Directors or such other directives as may be issued from time to time from being a elected as a Director.

- **SUBMISSION OF NOMINATION FORMS**

  Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit :

  - Duly filled in Declaration Form;
  - Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
  - Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the General Manager, Finance Department, UCO Bank, Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700001 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e. on or before 5.00 p.m., on 04.03.2015.

    The said nomination forms and other documents should be completed in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

- **SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS :**

  - Nominations shall be scrutinized on 06.03.2015 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 नवंबर, 2007 को जारी 'उपयुक्त व समुचित' दिशानिर्देशों के तहत तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं में अशासकीय निदेशकों के नामांकन के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2011 को या समय समय पर जारी सामान्य नीतियों के अनुसार जांच के अध्यधीन होगा।
- यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों हेतु केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझे जाएंगे और उनका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित होगा। नव निर्वाचित निदेशक अगले दिन अगले दिन को कार्य ग्रहण करेंगे।
- यदि एक से ज्यादा वैध नामांकन प्राप्त हों तो चुनाव किया जाएगा और चुनाव में सर्वाधिक मतों को प्राप्त करनेवाले प्रत्याशी चुने गए माने जाएंगे और उनके नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे।

- **नामांकन वापस लेना**

  यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो पत्र या फैक्स भेजकर 13 मार्च, 2015 को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पहले किसी भी समय अर्थात् सायं 05.00 बजे या उससे पहले वे ऐसा करने के पात्र होंगे।

- **उद्धरण**

  शेयरधारकों की सुविधा हेतु प्रयोज्य अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना एतद्पचात संलग्न हैं।

- **निदेशकों की रुचि**

  अपनी शेयरधारिता की सीमा तक बैंक के निदेशक एवं नामांकन दाखिल करने वाले निदेशक कार्य की उक्त मद से संबंधित या रुचि लेनेवाले समझे जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

अरुण कौल

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 19 फरवरी, 2015

- Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated November 01, 2007 issued by the Reserve Bank of India as well as the General Policies for nomination of Non Official Directors in Banks and Financial Institutions as issued by Ministry of Finance, Government of India on 01.06.2011 or from time to time.
- If there is only One valid nomination for the vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. The newly elected directors will assume office the next day.
- If there are more than one valid nominations, Election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their name will be published in newspapers.

- **Withdrawal of Nominations**

  If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 p. m on 13th March 2015.

- **Extracts :**

  Extracts of the relevant portions of the applicable Act/Scheme/Regulations/Notification are annexed for the benefit of the shareholders.

- **Interest of Directors :**

  Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board Directors

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi
Date : 19th February 2015.

निदेशकों का चुनाव - संबद्ध अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि का सारांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) में निहित धारा 3 के खंड (सी) के उप सेक्शन (2बी) में अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा तक शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा यूको बैंक सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध - धारा 16(1)

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रुप में ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगी, जो अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक हो।

ऋण धारा अग्रिम के संबंध में प्रतिबंध- धारा 20

निम्न को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करने के लिए कोई बैंकिंग कंपनी प्रतिबद्ध नहीं होगीः

(i) अपने किसी निदेशक को,

(ii) ऐसी कोई फर्म जिसमें इसके किसी निदेशक का एक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित है, अथवा

(iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का।) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी अथवा जिसकी अनुषंगी की अथवा जिसकी होल्डिंग कंपनी की बैंकिंग कंपनी जिसमें वह कोई निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीदाता है अथवा जिसमें उसका पर्याप्त हित है, अथवा

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक उसका साझीदार अथवा गारंटीदाता है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार के सबंध में प्रतिबंध

धारा 3(2ई)ः तदनुरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक केंद्रीय सरकार के अलावा अपने द्वारा धारित किन्ही शेयरो के बदले में तदनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3)(i) जहां पूंजी धारा 3 की उपधारा 2 (बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गयी हैः

(i) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिात से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक,

(ii) सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु, कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अनधिक, दो निदेशक,

(iii) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, तो तीन निदेशक केंद्रीय सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत होंगे, जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

यह भी प्रावधान है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम (2006 के प्रारंभ पर या उससे पहले निर्वाचित निदेका की संख्या, तदनुरूप नये बैंक में उप खंड (I) या उप खंड (II) या उप खंड (III) जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से बढ़ जाती है तो ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित ऐसे अतिरिक्त संख्या के निदेशक, योजना में दर्ाए गए तरीके से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यदायित्वों से समय पूर्व सेवानिवृत्ति के कारण किसी क्षतिपूर्ति के दावे के पत्र नहीं होंगे।

धारा 9(3ए) : उक्त खंड (i) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक

(ए) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होने चाहिए

(i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC. - ELECTION OF DIRECTORS

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of UCO Bank General (Shares and Meetings) Regulations, 2003 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of common Directors- Section 16(1)

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors any person who is a Director of any other banking company.

Restrictions on loans and advances - Section 20

1. No banking company shallenter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-
   - (i) any of its Directors,
   - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as Partner, Manager, Employee or Guarantor, or
   - (iii) any company (not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a government company of which (or the subsidiary of the holding company of which)any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or Guarantor or in which he holds substantial interest, or
   - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of tenpercent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

Composition of the Board of Directors

Section 9(3)(i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of section (3) is-

- (i) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, not more than one director;
- (ii) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than two directors,
- (iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than three directors,to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

PROVIDED FURTHER that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub - clause (II) or sub - clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-
  - (i) agricultural and rural economy,

(ii) बैंकिंग
(iii) सहकारिता
(iv) अर्थशास्त्र
(v) वित्त
(vi) विधि
(vii) लघु उद्योग
(viii) विशेष ज्ञान संबंध अन्य कोई विषय एवं व्यवहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में संबंधित नए बैंक के लिए उपयोगी है।

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, अथवा

(सी) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों,

धारा 9(3एए) उपधारा 3(ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा इस समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में समाविष्ट किसी प्रावधान के विपरीत हुए बिना कोई भी व्यक्ति उप धारा (3) उनके खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति ट्रेक रिकार्ड, ईमानदारी और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर उपयुक्त एवं समुचित हैसियत न रखता हो।

धारा 9(3एबी) भारतीय रिर्जव बैंक उपधारा (3एए) के अधीन जारी अधिसूचना में उपयुक्त एवं समुचित हैसियत संबंध निर्धारण का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण की पद्धति, ऐसे निर्धारण के अनुपालन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं अन्य ऐसे मामले जिन्हें आवश्यक अथवा प्रासंगिक समझा जाए, विनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

धारा 9(3बी) जहां भारतीय रिजर्व बैंक की यह राय है कि उपधारा (3) के खंड (i) के तहत तदनुरूपी नए बैंक का निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा (3ए) एवं 3(एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के बाद, वह आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक मंडल उपधारा (3ए) एवं 3(एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर तब तक के लिए निदेशक के रुप में चयन करेगा जबतक कि तदनुरूपी नए बैंक के शेयरधाराकों द्वारा आगामी असाधारण आम बैठक में एक निदेशक को विधिवत निर्वाचित न कर लिया जाए और इस प्रकार चयनित व्यक्ति तदनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित समझा जाएगा।

सत्यनिष्ठा और गोपनीयता का दायित्वः

धारा 13(2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति का सदस्य, अथवा तदनुरूपी नए बैंक का लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्य का दायित्व संभलने से पहले तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट फार्म में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल

खंड 9(4):

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

बशर्ते ऐसा निदेशक निरंतर छः वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों की अपात्रताः

खंड 10

कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अपात्र होगा-

(ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या बढ़ाया हो, अथवा

(बी)यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

(सी)यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जो नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हो, अथवा

(डी)यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी) बैंक अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के तहत समरूपी नए बैंक के कर्मचारियों में से नामित पूर्ण कालिक निदेशकों, इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल हैं, का पद धारण करता है/करती है।

(ii) banking,
(iii) co-operative,
(iv) economics,
(v) finance,
(vi) law,
(vii) small scale industry,
(viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new bank;

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

Section9 (3AA): Without prejudice to the provisions of sub section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section9(3AB): The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-sections (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-sections (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new bank as a Director.

Obligations as to fidelity and secrecy

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a committee, or Auditor, Adviser, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

The NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9(4):

An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10:

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a director -

(a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

(b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competentCourt; or

(c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral

(d) If he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955,or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.

निदेशकों के पद रिक्त होना

खंड 11:

1. यदि कोई निदेशक, खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी भी अपात्रता के अध्यधीन अथवा निदेशक मंडल की पूर्व अनुमति के बिना उसकी तीन से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो वह समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है। परिणामस्वरूप उसका पद रिक्त हो जाएगा।
2. अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) अथवा खंड (सी) में निर्दिष्ट निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित में त्यागपत्र का नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसे त्यागपत्र को उस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया हैः और कोई अन्य निदेशक केंद्रीय सरकार को अपने त्यागपत्र का नोटिस लिखित में देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और केंद्रीय सरकार से त्यागपत्र की सूचना प्राप्ति प्राप्त होने पर त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा।
3. पूर्वोक्त उप खंडों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खडं सी 1 (ई) अथवा खडं (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद, जिस राष्ट्रीयकृत बैंक का वह निदेशक है उसका एक कार्मिक अथवा कार्मिक से इतर का एक कर्मचारी नहीं रह जाने पर उस पद को खाली माना जायेगा।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक का कोई पद रिक्त होता हे, तो वह पद अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुरूप भरा जाएगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खंड 11एः

केंद्रीय सरकार के अलावा ऐसे शेयरधारक, जिनकी सकल धारिता उनके द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है तो धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के तहत वे बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटा सकते हैं और रिक्त पद को भरने के लिए उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

खंड 11बीः

1. जहां निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त होता है, तो रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा। बशर्ते जहां रिक्त पद की अवधि 6 माह से कम होने की संभावना हो, रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकता है।
2. कोई व्यक्ति जो निर्वाचित अथवा विकल्पित है, जैसा भी मामला हो, उपखंड (1) के तहत अपने पूर्ववर्ती की कार्य अवधि के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा।

निदेशकों द्वारा हित प्रकटीकरण :

खंड 12 (बी)

निदेशक जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या की ओर से किए गए अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी संविक्षा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है अथवा उसमें उसका हित है, सम्बद्ध परिस्थितियां उसकी जानकारी में आने के पश्चात यथाशीघ्र अपने हित की प्रकृति को निदेशक मंडल में प्रकट करेगा और जब ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव के बारे में निदेशक मंडल में चर्चा की जाएगी, वह निदेशक मंडल की बैठक में, जब तक कि उस प्रयोजन के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो, उपस्थित नहीं रहेगा। परंतु इस उपधारा में समाहित कुछ भी, ऐसे निदोकों पर मात्र निम्नलिखित होने के कारण लागू नहीं होगाः

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में फिलहाल लागू विधि द्वारा अथवा विधि के तहत स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति, जिसके साथ अथवा जिसकी ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा,ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव किया है अथवा करने वाला है, में किसी शेयर धारक (निदेशक के अलावा) की धारिता, चुकता पूंजी के 2 प्रतिात से अधिक नहीं है।

अथवा,

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, यदि वह निदेशक है (अधिनियम 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) अथवा खंड (एफ) में विनिर्दिष्ट)।

Vacation of office of directors

Clause 11:

(1) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Cl.10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.

(2) The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Cl. (b) or Cl. (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office: any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the nationalized bank of which is a director.

(4) Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A

The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Cl. (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B

(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.

(2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(B)

A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such director by reason only of his being-

(i) a shareholder (other than a director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any cooperative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made or proposed to enter into or make a contract, loan, arrangement or proposal, or

(ii) an officer or other employee of the nationalized bank, if he is a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

यूको बैंक आम (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 2003

संयुक्त धारकों के अधिकार का इस्तेमाल :

विनियम 10 :

यदि शेयर दो अथवा दो से अधिक के नाम पर हैं तो रजिस्टर में दर्ज प्रथम व्यक्ति मतदान, लाभांश प्राप्ति, नोटिस और शेयरों के अंतरण को छोड़कर यूको बैंक से संबंधित सभी अथवा अन्य किसी मामले के बारे में शेयरों का एकल धारक समझा जाएगा।

आम बैठक में मतदान

विनियम 61

i. किसी भी आम बैठक में सभा के सामने मतदान के लिए प्रस्तुत किसी प्रस्ताव के मामले में, यदि मतदान की मांग न की गई हो तो हाथ उठाकर निर्णय कर लिया जाएगा।

ii. यदि अधिनियम में अन्य प्रावधान न हो तो आम बैठक के सामने हर प्रस्तुत मामले का निर्णय बहुमत से होगा।

iii. जब तक उप-विनियम (i) के तहत मतदान की मांग नहीं की जाती, किसी प्रस्ताव पर पक्ष अथवा विपक्ष में मतों की संख्या या अनुपात के सबूत के बिना केवल उठाए गए हाथों के आधार पर सर्वसम्मति अथवा एक विशेष बहुमत के संबंध में बैठक के अध्यक्ष की घोषणा तथा कार्रवाई के कार्यवृत्त की पंजियों में इस आशय की प्रविष्टि को इस तथ्य का अंतिम साक्ष्य माना जाएगा।

iv. किसी प्रस्ताव के लिए हाथ उठाने के आधार पर मतदान के नतीजे की घोषणा होने से पहले अथवा बाद में बैठक के अध्यक्ष के अपने स्वयं के विवेक द्वारा मतदान कराने का आदेश दिया जा सकता है, और भौतिक रूप से उपस्थित किसी शेयर धारक या शेयर धारकों या उनके प्रतिनिधि की ओर से की गई मांग पर अध्यक्ष द्वारा निश्चित रूप से ऐसा आदेश दिया जाएगा, तथा उस प्रस्ताव पर मतदान कराने की मांग करने वालों के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए जरूरी है कि उनका मताधिकार बैंक के शेयरों के धारण के आधार पर कुल मताधिकार के पांचवें हिस्से से कम नहीं हो।

v. जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने मतदान की मांग की है, उनके द्वारा इस मांग को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

vi. बैठक को स्थगित करने या अध्यक्ष का चुनाव करने के सवाल पर मतदान के लिए की गई मांग पर तुरंत मतदान कराया जाएगा।

vii. किसी भी अन्य सवाल पर मतदान की मांग होने पर कराए जाने वाले मतदान का समय ऐसी मांग किए जाने के 48 घंटों के बाद का नहीं होगा, ऐसा निदेश बैठक के अध्यक्ष द्वारा दिया जा सकता है।

viii. किसी व्यक्ति को मत देने की पात्रता है या नहीं, और मतदान होने की स्थिति में कोई व्यक्ति कितनी संख्या में मत दे सकता है, इसके बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

आम बैठकों में निदेशकों का चुनाव :

विनियम 63 :

(i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत जिनका नाम रजिस्टर पर है ऐसे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा, बैंक की आम बैठक में उनमें से निदेशक चुना जाएगा।

(ii) जहां किसी आम बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो उससे संबंधित नोटिस, बैठक के आयोजन से संबद्ध नोटिस में सम्मिलित होगा। ऐसे नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा जिनके संबंध में चुनाव होना है उन रिक्त पदों से संबंधित विवरण दर्शाए गए होने चाहिए।

शेयर धारकों की सूची :

विनियम 64 :

(i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव होगा।

UCO BANK GENERAL (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS 2003

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with UCO Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Voting at general meeting

Regulation 61

i. At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.

ii. Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.

iii. Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour, or against, such resolution.

iv. Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to a vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

v. The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

vi. A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

vii. A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.

viii. The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

Directors to be elected at general meeting

Regulation 63

i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.

ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.

(ii) सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके पास शेयरों की संख्या तथा शेयर का पृथक क्रमांक, उस तारीख सहित जिस दिन वह पंजीकृत किए गए थे तथा बैठक के लिए निर्धारित वह दिनांक जिस पर चुनाव होगा, मताधिकार की संख्या जिनके वे हकदार होंगे तथा बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व शेयरधारकों की सूची की प्रति उस मूल्य पर खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी, जो बोर्ड या प्रधान कार्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

विनियम 65 :

(i) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि :

(ए) वह यूको बैंक का शेयर धारक न हो और उसके पास 100 (एक सौ) से कम शेयर न हो।

(बी) वह नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य न हो।

(सी) उसके द्वारा धारित बैंक के सभी शेयरों चाहे उसके एकल नाम पर हों अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से हों, से संबंधित मांग की राशि का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पहले कर दिया गया हो।

(डी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और कम से कम एक सौ पात्र शेयर धारकों अथवा यथाविधि गठित उनके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बार्ते किसी शेयर धारक जो एक कंपनी हो, द्वारा किया गया नामांकन, उसके निदेशकों द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार किया गया हो और जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी गई हो तो ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।

(ई) नामांकन के साथ अथवा नामांकन में प्रत्याशी द्वारा किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एश्योरेंस के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा किसी अन्य राजपत्रित अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में ख़डे होने के लिए इच्छुक है और वह उक्त अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह सभी प्रकार से पूर्ण संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व प्राप्त न हो जाए।

नामांकन की जांच :

विनियम 66 :

(i) नामांकन प्राप्त होने की निर्धारित तिथि के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसके लिए कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि चुनाव के जरिए किसी विशेष रिक्त पद भरने के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी अवस्था में चुनाव के प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक स्थल पर कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उक्त चुनाव के प्रयोजन मात्र के लिए ही आयोजित की गई हो तो इसे निरस्त समझा जाएगा।

(ii) चुनाव होने की अवस्था में, यदि नामांकनों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो, तो बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जाएगा।

(iii) मौजूदा रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को निर्वाचन/निर्वाचित समझे जाने की तिथि के अगले दिन से पदभार ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा।

ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulation 65.

i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,

a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank.

b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.

c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone of jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call,

d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be date by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

e) The nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations

Regulation 66:

i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected in such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.

iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

चुनाव विवाद :

विनियम 67 :

i. यदि निर्वाचित समझे जानेवाले अथवा निर्वाचित घोषित किए गए किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में विवाद पैदा होता है, तो प्रत्याशी होने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति अथवा ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए हकदार शेयर धारक, ऐसे चुनाव के परिणाम के घोषित होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर उसकी सूचना लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दे सकता है और उक्त सूचना में वह उन कारणों का पूर्ण विवरण देगा जिसके आधार पर चुनाव की वैधता के बारे में उसे संदेह अथवा विवाद है।

ii. उप विनियम (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह अथवा विवाद पर निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों के साथ गठित समिति को संदर्भित कर सकते हैं।

iii. उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच करेगी और यदि समिति यह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि वह पाती है कि चुनाव एक वैध चुनाव नहीं था तो वह जांच आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर, परिस्थितियों के अनुसार नया चुनाव करने सहित ऐसे आदेश और ऐसे निर्देश जारी करेगी जो समिति को उचित लगे।

iv. इस विनियमन के अनुसरण में समिति के आदेश और निदेश अंतिम होंगे।

शेयर धारकों के मताधिकार :

विनियम 68 : मताधिकार का निर्धारण :

i. अधिनियम की धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, ऐसा प्रत्येक शेयर धारक, जो आम सभा की तिथि के पूर्व रजिस्टर के बंद होने की तिथि पर शेयर धारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत तथा निर्वाचन होने की अवस्था में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का हकदार होगा।

ii. अधिनियम की धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, उपरोक्तानुसार मत देने के लिए हकदार प्रत्येक शेयर धारक जो एक कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित है अथवा जो कंपनी होने के नाते विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित है, हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और उपरोक्त उपविनियम (i) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए हकदार होगा।

व्याख्या : इस अध्याय के लिए 'कंपनी' का तात्पर्य कोई भी कॉर्पोरेट निकाय है।

iii. आम सभा में भाग लेने और मत देने के लिए हकदार बैंक के शेयर धारकों को अपने स्थान पर किसी व्यक्ति (भले ही वह शेयर धारक है या नहीं) को भाग लेने और मत देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करने का हक है परंतु इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

विनियम 69 :

i. कोई शेयर धारक, केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी होने के नाते संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकारियों में से किसी को अथवा अन्य व्यक्ति को शेयर धारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में 'विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) को केंद्र सरकार अथवा कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की ओर से उन्हीं शक्तियों के प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का शेयर धारक हो। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप में होने चाहिए और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

ii. बैंक के शेयरधारकों की बैठक में कोई व्यक्ति कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकता है अथवा मत नहीं दे सकता है जब तक कि जिस बैठक में उसे पारित संकल्प द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता - 700001 में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो।

Election disputes

Regulation 67:

i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub0section (3) of Section 9 of the Act.

iii. The Committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such an enquiry as deemed necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of the fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders

Regulation 68: Determination of voting rights

i. Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder has been registered as a shareholder on the date of the closure of Register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii. Subject to the provision contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him as stated herein above in sub-regulation (i) Explanation - for this chapter, "Company" means any Body Corporate.

iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative

Regulation 69:

i. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of his officer or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholder and person so authorized (referred to as "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any of such persons may act as duly authorized representative of the Central Government/ Company.

ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700001 of the Bank and not less than 4 days before the date fixed for the meeting.

परोक्षी

विनियम 70:

i. वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में परोक्षी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उसपर उसने अथवा उसके अटॉर्नी ने लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत न किया हो अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में अंकित प्रथम शेयर धारक अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा अथवा कंपनी निकाय के मामले में उसके अधिकारी अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो।

बशर्ते परोक्षी के लिखत को शेयर धारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तो यह तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।

ii. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर विधिवत मुहर न लगी हुई हो और उसकी प्रति, बैठक की नियत तिथि से चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके तहत हस्ताक्षर किए गए हों अथवा नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार की सत्य प्रतिलिपि के रूप में अधिप्रमाणन के साथजमा न कर दिया गया हो और साथ ही ऐसा मुख्तारनामा अथवा कोई प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा अथवा पंजीकृत न किया गया हो।

iii. परोक्षी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फार्म 'बी'में न हो।

iv. बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का कोई भी लिखत अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा।

v. वैकल्पिक रूप से दो अभिदाताओं के पक्ष में अभिदत्त परोक्षी के लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।

vi. इस विनियम के तहत परोक्षी के किसी लिखत का अभिदाता उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का पात्र नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित है।

vii. कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रातिनिधि आथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जो यूको बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।

viii. परोक्षी फॉर्म में सभी संशोधन विधिवत अधिप्रमाणित होने चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3-एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना बीसी क. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं : 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार हैं :

(ए)प्राधिकार : सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक 'नामांकन समिति' का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल से (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम तीन निदेशक शामिल हों। निदेशक मंडल द्वारा उनमें से एक निदेशक को नामांकन समिति का अध्यक्ष नामित करना चाहिए। कोरम में अध्यक्ष को मिलाकर तीन सदस्य होने जरूरी हैं। यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मंडल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है।

(बी) पद्धति एवं प्रक्रिया : नामांकन समिति को उक्त अधिनियम धारा 9 (3)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए निदेशक/निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उचित एवं समुचित हैसियत का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रकिया का पालन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फार्मेट में (अनुबंध-1 में) मौजूदा चुने गए निदेशकों/निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए। नामांकन समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने

Proxies

Regulation 70:

i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of a body corporate signed by an officer or an attorney duly authorized in writing.

   Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Govt. Gazetted Officer or Officer of the Bank.

ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank or at any other place duly notified by the Bank in this regard, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a Power of Attorney or other authority is previously deposited and registered with the Bank.

iii. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B".

iv. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

vi. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person in the Extra ordinary General Meeting to which such instruments relates.

vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

viii. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI),in exercise of powers conferred on it under sub sections (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOC BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION

The authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'fit and proper" status etc. is as under:

(a) Authority: All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure: The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper" status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The Nomination Committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and

की अंतिम तिथि से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुई हो तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(सी) मानदंड : नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशियों की 'उपयुक्त एवं समुचित स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए :

(i) शैक्षणिक योग्यता

(ii) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र

(iii) ट्रैक रिकार्ड तथा निष्ठा

(उपरोक्त सूची उदाहरणस्वरूप है, व्यापक नहीं)

नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अनुपालन से चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्य दायित्व का निर्वाह करने में रुकावट होगी। इसी क्रम में किसी प्राधिकारी/विनियामक निकाय को प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा।

(डी) अन्य मामले :

यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुने हुए निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाए (जैसी कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रांक डीबीओडी.क्र.बीसी 116/08.139.001/2001-02 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा सिफारिश की गई है।)

यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को यह साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जहां कहीं भी कोई परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो समिति को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा निदेशक की 'उपयुक्त तथा समुचित' हैसियत का पुनरीक्षण करना चाहिए।

अंशकालिक अशासकीय निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश-भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011 जिन्हें भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अनुसार लागू किया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि के निदेशक मंडल में अंशकालिक अशासकीय निदेशक (एनओडी) के नामांकन हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाने चाहिए :-

सामान्य

1. नामांकन संबद्ध अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
2. नामिति की उपयुक्तता सामान्य शैक्षणिक योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा आदि की शर्तों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। सत्यनिष्ठा तथा उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, वैयक्तिक कर्जों के लिए की गई दीवानी कार्रवाई, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश की अनुमति न देना या वहां से निकाल देना। विनियामकों तथा ऐसे निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तथा पिछले संदेहात्मक व्यावसायिक व्यवहारों आदि को आधार बनाया जाना चाहिए।
3. समान्यतः कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कानून, मार्केटिंग, उद्योग एवं आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्राक्षिण प्राप्त या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा।
4. जहां तक संभव हो, महिलाओं तथा अजा/अजजा के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

(c) Criteria: The nomination committee should determine the 'fit and proper" status of the existing elected directors/ proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder

(i) Educational qualification

(ii) Experience and field of expertise

(iii) Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive).

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

(d) Other matters: It is desirable that the board ensures, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (copy enclosed for ready reference -Annexure-2) as recommended by the Dr Ganguly Group vide our circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper" status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON OFFICIAL DIRECTOR - GOI GUIDELINES DATED 01.06.2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated 3rd September, 2013.

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/rules
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil action undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions as applied by regulator and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.
3. Persons with special academic training or practical experience in the field of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, law, marketing, industry and IT will ordinarily be considered.
4. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

शिक्षा

अशासकीय निदेशक (एनओडी) को कम से कम स्नातक होना चाहिए।

किसानों, जमाकर्ताओं तथा दस्तकारों के मामले में एसीसी के अनुमोदन से शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है (निदेशक मंडल की नामांकन समिति विवेकानुसार छूट देने हेतु अधिकृत है)।

आय :

निदेशकों की आयु 35 एवं 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस संबंध में और छूट अपेक्षित नहीं है (निदेशक मंडल की नामांकन समिति विवेकानुसार छूट देने हेतु अधिकृत है)।

कार्य अनुभव

पेशवर व्यक्तियों/शिक्षाविदों को संबंधित विशिष्ट क्षेत्र में सामान्यतः 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अयोग्यता

1. यदि कोई निदेशक पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/वित्तीय संस्था में निदेशक के रूप में कार्यरत हो तो उसके किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाए।
2. किराया खरीद, वित्त पोषण, निवेश, लीजिंग या अन्य पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े हुए व्यक्ति, एम पी, एमएलए, एमएलसी तथा स्टॉक ब्रोकर को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल में अशासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी व्यक्ति को, जो पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी बैंक/वित्तीय संस्था में निदेशक के रूप में कार्यरत हो तो उसके किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार न किया जाए।
4. किसी भी एनओडी को बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित नहीं किया ज सकता है, यदि वह निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में 6 वर्षों तक लगातार या अलग-अलग समय पर एनओडी/शेयर धारक निदेशक रहा है (अशासकीय निदेशकों के लिए 6 वर्षों के लिए दो कार्यकालों के सामान्य नियम को सी ए श्रेणी के अंतर्गत निदेशक नियुक्त करने में भी लागू किया जाना चाहिए।

व्यावसायिक प्रतिबंध

1. एनओडी किसी बैंक/वित्तीय संस्था के निदेशक के रूप में कार्यालय छोड़ने के बाद, दो वर्षों तक उस बैंक/वित्तीय संस्था का कोई भी कार्य स्वीकार नहीं करेगा/न उसे कोई कार्य आबंटित किया जाएगा।
2. किसी बैंक में एनओडी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वह निदेशक उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में कोई व्यावसायिक कार्य (सांविधिक लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा, विधिक प्रतिधारण शुल्क या वकील के रूप में एम्पैनलमेंट आदि) नहीं करेगा। भारतीय स्टेट बैंक के मामले में ऐसे प्रतिबंध सहयोगी बैंकों को भी कवर करेंगे, तथापि किसी अन्य बैंक/बीमा कंपनी के मामले में फर्म को ऐसा कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए बशर्ते कि आासकीय निदेशक उस फर्म के व्यवसाय के उस भाग को जहां हितों का टकराव हो सकता है, संचालित करने से स्वयं को अलग कर ले।
3. यदि कोई व्यक्ति, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखता है, इसमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, किसी बैंक के निदेशक मंडल में नामांकित होने के लिए चुना जाता है तो उसे ऐसी नियुक्ति से पहले उस बैंक के साथ अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में उन व्यावसायिकों को नामित नहीं किया जाएगा जिनके साथ ऐसे नामांकन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका व्यावसायिक संबंध रहा है।

EDUCATION

An NOD should at least be a graduate.

Education qualification may be relaxed in case of farmers, depositors and artisans. (Nomination Committee of the Board is empowered to relax at their discretion).

AGE

The age of the Director should be within 35 years and 65 years. No further relaxation is desirable. (Nomination Committee of the Board is empowered to relax at their discretion.)

WORK EXPERIENCE

Professionals/Academicians should ordinarily have 10 years of work experience in the particular field.

DISQUALIFICATION

1. A director already on a Bank/FI under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.
2. Persons connected with hire purchase , financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs
3. No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
4. An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD/shareholder - Director on the board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently. (The general rule of two terms for six years for Non-Official Directors should apply to the Directors appointed under CA Category also).

PROFESSIONAL RESTRICTION

1. NOD will not accept/will not be allotted any work of the Bank/FI for two years after demitting office as Director of that Bank/FI.
2. During his term as NOD on any Bank, such Director will not undertake any professional work (statutory audit, concurrent audit, legal retainer ship or empanelment as a lawyer etc.) in that Public Sector Bank. In the case of SBI, such restrictions will cover Associate Banks as well. However, in respect of any other bank/insurance company, the firm should be allowed to be engaged, provided the non official director recluses himself/herself from handling that part of the business of the firm, where there may be a conflict of interest.
3. If a person having professional relationship with bank, including cooperative bank, is selected for being nominated on the board of any bank, he will have to sever connection with the bank before such appointment.
4. Professional shall not be nominated on the Board of a PSB with which they have had a business relationship during the last 3 years before such nomination.

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

नामांकन फार्म

सेवा में,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक
10, बीटीएम सरणी,
(ब्राबोर्न रोड)
कोलकाता- 700001

महोदय,

निदेशकों का चुनाव

आपकी दिनांक 19 फरवरी, 2015 को जारी सूचना के संदर्भ में, मैं, ..., चुनाव में भाग लेने की अंतिम तारीख 17 फरवरी, 2015 को प्रत्येक रु. 10/- के ..... इक्विटी शेयर धारित करनेवाला यूको बैंक का शेयरधारक, इसके द्वारा श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी ..... को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के अनुसार, दिनांक 20 मार्च, 2015 को आयोजित यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले यूको बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए इसके द्वारा नामित करता हूं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अभौतिक न हो)	
डीपी आईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (यदि अभौतिक रूप में हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणी

1) यदि किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ पारित संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए और उस पर जिस बैठक में इसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए।
2) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयर धारकों के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए।
3) यदि उपर्युक्त में से कोई कॉलम रिक्त छोड़ा गया या विवरण असत्य पाया गया तो नामांकन रद्द किया जा सकता है।

UCO BANK

Head Ofiice, 10 B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOMINATION FORM

To
The Chairman & Managing Director,
UCO Bank,
10, B.T.M. Sarani,
(Brabourne Road),
Kolkata - 700001

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice Dated 19th February 2015, I,…….....…… a shareholder of UCO Bank holding…….....…equity shares of Rs. 10/- each as on 17th February, 2015, the cut-off date for participating in the election, do hereby nominate Shri/ Smt…….....…….son/daughter/wife of .....…… …….. residing at …… ……. for being elected as a Director of UCO Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on 20th March, 2015.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Notes :

1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

घोषणा

(प्रत्यशी के द्वारा)

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी, श्री/श्रीमती..... .....निवासी.....एतदद्वारा पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि,

क) दिनांक 17 फरवरी, 2015 को यानी निर्वाचन में भाग लेने की कट-आफ तारीख को बैंक के ..... इक्विटी शेयरों का धारक हूँ और

ख) मुझे (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, या .....का (जिसका विशेष ज्ञान एवं जिसमें व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी है) विशेष ज्ञान है या व्यावहारिक अनुभव है। और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3ए की शर्तों के अनुसार जमाकर्ताओं/कृषकों, कामगारों एवं शिल्पियों के हित का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ जिसके प्रमाणस्वरूप एतदद्वारा संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ और

ग) मैं नामांकन संख्या ..... स्वीकार करता/करती हूँ तथा

घ) मैं यूको बैंक के शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ तथा

ङ) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंध और विविध उपबंध) योजना, 1970, यथासंशोधित यूको बैंक(शेयर और बैठकें) विनियम, 2003, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संगत अधिसूचनाएं और इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उपबंधों के अधीन बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ तथा

मैं विशेष रूप से घोषणा करता हूं कि

क) मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में न तो कोई लाभ का पद धारित करता/करती हूँ तथा न ही उसका/उसकी कोई कर्मचारी हूँ तथा

ख) मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा

ग) मैं किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्था में निदेशक नहीं हूं तथा

घ) मैं पहले भी इस बैंक के निदेशक मंडल में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार दो कार्यकाल या 6 वर्षों के लिए, जो भी अधिक है, निदेशक नहीं रहा हूं / रही हूं तथा

ङ) मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी वित्तीय संस्था में किसी भी श्रेणी के तहत (सीए श्रेणी को शामिल कर) लगातार दो कार्यकाल या 6 वर्षों के लिए, चाहे यह लगातार हो या रुककर निदेशक नहीं रहा हूं / रही हूं तथा

च) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक से मेरा कारोबारी संबंध नहीं रहा है; और

छ) मैं किसी भी किराया खरीद, वित्तीयन, निवेश, लीजिंग, एवं अन्य परा-बैंकिंग गतिविधियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी एवं स्टॉक दलालों से जुड़ा हुआ / जुड़ी हुई नही हूं; और

ज) मैं निर्वाचित होने पर आगे से बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध समाप्त कर दूंगा/दूंगी तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तथा आगे दो वर्षों तक व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा/रखूंगी; और

UCO BANK

Head Ofiice, 10 B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

Declaration

(By the Candidate)

I, …….....…….son/daughter/wife of Shri/Smt. ……..…… …….....…….....…….resident of ……..……..……..…….....hereby confirm that :

a. I am a shareholder holding……equity shares of the Bank on17th February, 2015i.e. the specified date for participating in the elections, and

b. I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or…….(special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

c. I accept the nominations numbering……., and

d. I am willing to contest for the election of Shareholders' Director of UCO Bank, and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings), Act 1970, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the UCO Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 as amended, relevant Notifications issued by the Reserve Bank of India and Guidelines issued by the Govt. of India in this regard, and

I specifically declare as under :

a. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and

b. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and

c. I am not a Director in any other Public Sector Bank or Financial Institution; and

d. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

e. I have not been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution under any category (including CA Category) for two terms or six years, whether continuously or intermittently, and

f. I have not had business relationship with the Bank during the last three years.

g. I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers, and

h. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

झ) मैं इस घोषणा के बाद उपरोक्त सूचनाओं से संबद्ध ऐसी घटनाओं की पूरी जानकारी बैंक को यथासंभव शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का वचन देता हूं तथा बैंक का निदेशक नियुक्त होने पर प्रतिज्ञापत्र विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूं।

ञ) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूं जो कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सही एवं पूर्ण है।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो में (यदि अभौतिक न हो)	
डी.पी.आई.डी. नं. ग्राहक आई.डी. नं. (यदि भौतिक हो)	
स्थान	
तारीख	

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया है।

* न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित/अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या यूको बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर
(जो लागू न हो उसे काट दें।)

_____

* तारीख सहित हस्ताक्षर एवं मोहर

i. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

j. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No.(if not dematerialized)	
DP ID No. Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration signed before me.

*Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or UCO Bank or any nationalized Bank.

(Delete whichever is not applicable.)

*Signature & Seal with date

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा एवं वचनपत्र

पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

बैंक का नाम - यूको बैंक

दिनांक ..... 2015 (वचनपत्र की तारीख) को अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ प्रत्याशी की घोषणा एवं वचनपत्र

क्र.सं.	ब्योरा	
I	**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**	
1	प्रत्याशी का पूरा नाम	
2	पिता का पूरा नाम	
3	जन्म की तारीख	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	टेलीफोन एवं फैक्स नंबर	
	ईमेल पता	
7	आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या(पैन) (कृपया प्रति संलग्न करें)। आयकर परिमंडल का नाम व पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणी जमा होती है।	
8	शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक / अकादमिक) (कृपया योग्यता की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) (शैक्षणिक/व्यावसायिक) (कृपया योग्यता की पुष्टि में प्रमाणपत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	
9	संगत ज्ञान एवं अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9(3ए) के अनुसार आवश्यक बैंक के निदेशकत्व से संबंधित अपना अनुभव उल्लेख करें ज्ञान / एवं अनुभव के प्रमाणस्वरूप स्व प्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
10	कोई अन्य सूचना जो प्रत्याशी देना चाहता हों	
II	**उम्मीदवार के संगत रिश्ते**	
11	उम्मीदवारों के उन रिश्तेदारों, यदि कोई हो, की सूची जो बैंक से संबंध रखते हों (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 एवं अनुसूची 1ए के अनुसार। कंपनी (परिभाषाओं, ब्योरों का विशिष्टीकरण) नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें)	
12	उन कंपनियों की सूची, यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार रुचि रखता हो। (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(ए), धारा 300 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) एवं धारा 184 का संदर्भ लें।)	

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: UCO Bank

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on …….2015 (date of undertaking)

Sl. No.	Particulars	
I.	**Personal Details of the Candidate**	
1	Full Name of the Candidate	
2	Father's Name in Full	
3	Date of Birth	
4	Permanent Address	
5	Present Address	
6	Telephone & Fax Number	
	Email Address	
7	Permanent Account Number (PAN) under the Income Tax Act (Please enclose a copy) Name and address of the Income Tax Circle where personal tax returns are filed	
8	Educational Qualifications (Educational/academic) (please attach self attested certificates evidencing the qualification) (Educational/ professional) (please attach self attested certificates evidencing the qualification)	
9	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank). (Please attach self attested certificates evidencing knowledge/and experience)	
10	Any other information which the candidate desires to furnish	
II	**Relevant Relationships of the Candidate**	
11	List of Relatives, if any, who are connected with theBank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act, 1956]	
12	List of entities, in any, in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act 1956]	

13	प्रस्तावित अथवा वर्तमान कंपनियों की सूची जिनमें उम्मीदवार बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 (एनई) की परिभाषा के अंतर्गत पर्याप्त हित धारित करता हो।	
14	बैंक(कों) का नाम जिनमें उम्मीदवार बोर्ड का सदस्य है या रहा है (धारित पद की अवधि का विवरण दें)	
15	बैंक में उम्मीदवार द्वारा या उपर्युक्त 12 एवं 13 में दी गई किसी कंपनी द्वारा वर्तमान में प्राप्त निधि एवं गैर-निधि सुविधाएँ, यदि कोई हो	
16	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जिनमें उम्मीदवार या कालम 12 एवं 13 में दी गई कंपनियाँ, हमारे बैंक या अन्य किसी बैंक / वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूककर्ता रहे हैं/चूककर्ता हैं.	
III	**व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड**	
17	संगत व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV	**उम्मीदवार के विरुद्ध की गई कार्रवाई, यदि हों**	
18	यदि उम्मीदवार किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित या शुरूकी गई या पूर्व में दोषसिद्ध में परिणत अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण या क्या उम्मीदवार को कभी किसी व्यवसाय/रोजगार में प्रवेश लेने से रोका गया है।	
19	आर्थिक विधि तथा विनियमों के उल्लंघन हेतु उम्मीदवार तथा सूची 12 तथा 13 में सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किए गए अथवा पूर्व में दोषसिद्ध अभियोग का विवरण, यदि कोई हो।	
20	उम्मीदवार के विरुद्ध पूर्व में शुरूकिए गए या लंबित या दोषसिद्धि में परिणत आपराधिक अभियोग का विवरण, यदि हो,	
21	क्या उम्मीदवार में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 के अंतर्गत कोई अयोग्यता पाई गई है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत)	
22	क्या उम्मीदवार या उक्त कालम 12 तथा 13 में दी गई कंपनियों में से किसी के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी के अनुरोध पर कोई जाँच की गई?	
23	क्या उम्मीदवार कभी नियमों/ विनियमों/ सीमा/ उत्पाद / आयकर/ विदेशी विनियम/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों की वैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है तो कृपया विवरण दें.	
24	क्या उम्मीदवार ने कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, आरबीआई, एमसीए, फेमा,सिबिल इत्यादि जैसे विनियामक से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त की है? (यद्यपि किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों, जिन्हें बाद में पूर्णतः बदल दिया गया/रद्द कर दिया गया, का उल्लेख करें, किंतु यदि बदलाव/ रद्द करना, सीमांकन अथवा क्षेत्राधिकार अत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से किया गया हो तो इसका उल्लेख करना आवयक होगा। विनियामक का आदेश अस्थाई रूप से स्थगित कर दिए जाने तथा अपील/न्यायालय प्रक्रियाएं लंबित होने पर भी इनका उल्लेख किया जाना चाहिए)	

13	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
14	Name of Bank(s) in which the candidate is or has been a member of the Board (provide details of period during which such office was held)	
15	Fund and Non Fund Facilities if any presently availed by the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above from the Bank	
16	Cases, if any, where the candidate or entities listed in 12 and 13 above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank/ Financial Institution	
III	**Records of professional achievements**	
17	Professional achievements of the candidate, if any	
IV	**Proceedings, if any, against the Candidate**	
18	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/ occupation at any time.	
19	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in 12 and 13 above for violation of economic laws and regulations.	
20	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced resulting in conviction in the past years against the Director.	
21	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Company's Act 2013 [Section 274 of the Companies Act, 1956]	
22	Has the candidate or any of the entities listed in 12 and 13 above been subject to any investigation at the instance of Government Department of Agency?	
23	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
24	Whether the Candidate or entities listed in 12 and 13 above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, RBI, IRDA, DCA FEMA etc., (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	

V	मद I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण/सूचना एवं ऐसी अन्य जानकारी जो समुचित निर्णय लेने में संगत समझी जाती हो।	

मैं पुष्टि करता हूं कि उपर्युक्त सूचना मुझे प्राप्त जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूरी है। मैं वचन देता हूं कि मेरी नियुक्ति किए जाने के बाद ऊपर प्रदान की गई सूचना के नाते प्रासंगिक जो कुछ भी घटित होगा उन सभी बातों से मैं बैंक को शीघ्र से शीघ्र पूर्णतया अवगत कराऊंगा।

दिनांकः हस्ताक्षरः

स्थानः

वचनपत्र

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री श्रीमती.....
पुष्टि करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं पूरी है। मैं वचन देता हूँ कि मेरी नियुक्ति के बाद उपर्युक्त सूचनाओं के संबंध में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बैंक को जल्द से जल्द पूरी तरह सूचित करूँगा।
मैं यह भी वचन देता हूँ कि बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र विलेख निष्पादित करूँगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

संलग्नक :

- जहाँ कहीं पर्याप्त स्थान नहीं है, सूचना अनुबंध के रूप में संलग्न करें जो एक क्रम में हो तथा समुचित प्रति-संदर्भ के अनुसार हो।
- उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर हस्ताक्षर किए जाना अपेक्षित है।

बैंक के बोर्ड की नामांकन समिति की अभ्युक्ति/ प्रेक्षण		
समिति सदस्य	**समिति सदस्य**	**समिति सदस्य**

स्थान :

दिनांक :

V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

Date :

Place : Signature :

UNDERTAKING

I _____ Son/Daughter/Wife/ of Shri _____ confirm that the above information is to the best of my belief true and complete. In undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank.

Signature of Candidate

Place :

Date :

Enclosures :

Note:

- Whether space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
- Each page (including annexure) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee :		
Committee Member	**Committee Member**	**Committee Member**

Place :

Date :

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अभौतिक न हों)		(यदि शेयर अभौतिक हों)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

मैं/हम ..... निवासी..... जिला .....राज्य ..... यूको बैंक, कोलकाता का/के शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा श्री/श्रीमती .....निवासी .....जिला ..... राज्य को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती ..... निवासी .....जिला .....राज्य ..... को 20 मार्च, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में या इसकी स्थगित तिथि को यूको बैंक के शेयरधारकों की होनेवाली असाधारण आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना परोक्षी नियुक्त करता हूं / करते हैं।

दिनांक..... 2015 को ..... दिन हस्ताक्षरित।

कृपया एक रुपये का रसीदी टिकट चिपकाएं

.....

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नामः .....

पताः .....

.....

.....

_____

परोक्षी (प्राक्सी) के हस्ताक्षर

परोक्षी (प्राक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

1. परोक्षी लिखत तभी वैध होगा जब
   - (क) व्यक्तिगत शेयर धारक के मामले में उसके/लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   - (ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नामित शेयर धारक या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
   - (ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह, उसके अधिकारी द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
2. जिस परोक्षी लिखत पर शेयर धारक अंगूठा निशान अंकित करता है वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
3. परोक्षी के साथ
   - (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
   - (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनाम अथवा प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तिथि से चार दिन पहले अर्थात व्यवसाय समय की समाप्ति को या उससे पहले अर्थात शनिवार, 14 मार्च, 2015 को अपराह्न 02.00 बजे तक या उससे पहले यूको बैंक, वित्त विभाग, (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता 700001 में जमा की जानी चाहिए।
4. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा, जब तक वह फार्म बी पर एवं विधिवत स्टाम्पित न हो।
6. बैंक में जमा की गई परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
7. जिस शेयर धारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम बैठक में व्यक्गित रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
8. यूको बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.		DPID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(if shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ ,being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank, to be held on 20th March, 2015 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 and at any adjournment there of.

Signed this……..day of……..2015

Please Affix Re.1/- Revenue Stamp

_____
Signature of Proxy

_____
Signature of first named/sole Shareholder

Name : .....

Address :.....

.....

Instructions for Signing And Lodging the Proxy form

1. No instruments of proxy shall be valid unless,
   (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing;
   (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. The proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), No.2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Metting i.e., on or before the closing hours i.e 2.00 PM on the Saturday14th March, 2015.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per Form "B" and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय इसे जमा किया जाए)

दिन एवं समय : 20 मार्च, 2015 समय : 11.00 बजे प्रातः

स्थानः भाषा भवन ऑडिटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर

कोलकाता - 700027

मैं एतद्द्वारा यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं।

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	पंजीकृत फोलियो /डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

प्रवेश पत्र

असाधारण आम बैठक

दिन एवं समय : 20 मार्च, 2015 समय : 11.00 बजे प्रातः

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

सदस्य / परोक्षी का नाम बड़े अक्षरों में	फोलियो / ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

शेयरधारकों/परोक्षी/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक हाल में प्रवेश करने के लिए हस्ताक्षरित उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला अंश शेयरधारकों/परोक्षी/ प्रतिनिधियों को वापस लौटा दिया जाएगा जिसे वे बैठक के अंत तक संभालकर रखें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

(बैलेट पेपर जारी किए जाने वाले मतदान काउंटर पर जमा कर दिया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं.	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी
(यदि शेयर अभौतिक न हों)	(यदि शेयर अभौतिक हों)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

तारिख : ....., 2015

नोट :

1. जिन शेयरधारकों ने ई-वोटिंग द्वारा पहले ही अपना मत दे दिया है वे असाधारण आम बैठक स्थल पर वोट देने के हकदार नहीं होंगे।
2. किसी भी स्थिति में डुप्लीकेट मत-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

UCO BANK

10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

Attendance Slip

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date &Time : 20th March 2015 at 11.00 A M.

Venue: Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Name of the Shareholder/Proxy/ Representative present	Regd.Folio / DPID/ Client ID No.	No. of Shares	Signature

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

ENTRY PASS

Extraordinary General Meeting

Date &Time : 20th March 2015 at 11.00 A M.

(To be retained throughout the meeting)

Name : in BLOCK letters /Member / Proxy	Folio / Client ID No.	No. of Shares	Signature

Share holders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.	DPID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(if shares are dematerialized)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present	

Date : …….., 2015

Note :

1. Shareholders who have already cast their vote through e-voting are not entitled to vote at the venue of the EGM.
2. No duplicate Ballot paper will be issued under any circumstances.

जानबूझकर खाली छोड़ा गया

LEFT INTENTIONALLY BLANK

बुक पोस्ट
Book Post

सुपुर्दगी नहीं होने पर कृपया इस पते पर लौटा दें :
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(यूनिट : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

If undelivered, please return to :
M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081

Design and Printed by : Swapna Printing Works Pvt. Ltd. email : office@swapnaprinting.com